10 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(54)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0। R 400- II-17

प्र. क्रं. /2017 निगरानी

भगवान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति, अहिरवार, आयु 29 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम भैसोन कला परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

निगरानीकर्ता/आवेदक

दिनांक 31-1-17 को श्री विवेक व्यास अधि० द्वारा प्रस्तुत। 31-1-17 50

बनाम

(1) राधाबाई बेवा पत्नि कूरा, जाति अहिरवार, निवासी ग्राम भैसोन कला परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(2) दीपक नाबालिग पुत्र कूरा, जाति अहिरवार, द्वारा सरपरस्त मां राधाबाई पत्नि कूरा निवासी ग्राम भैसोन कला परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

........प्रतिनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

//निगरानीपत्र धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रं. 16अ6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध//

माननीय महोदय,

सेवा मे सादर निगरानीकर्ता की ओर से सादर निगरानीपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि–

संक्षिप्त विवरण :–

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक को अपने निजी खर्च के लिये रूपयो की आवश्यकता थी तो अनावेदक को भूमि गिरवी रखने का तय हुआ तो अनावेदक ने कहा कि मै गिरवी रख लूंगा किन्तु उक्त भूमि की रजिस्ट्री आपको करना होगी तो आपसी संबधो के कारण आवेदक रजिस्ट्री कराने को तैयार हो गया और दो वर्ष के लिये उक्त भूमि अनावेदक के यहाँ गिरवी रखी गई व आवेदक ने अनावेदक के हित में रजिस्ट्री कर दी कि उभयपक्ष द्वारा एक स्टाम्प पर उक्त भूमि गिरवी रखने के संबध में एक अनुबंधपत्र लिखा गया जिस पर उभयपक्ष तथा गवाहो ने हस्ताक्षर किये व उसमें दो वर्ष की शर्त अंकित की गई यानि कि दिनांक 30.05.2016 लेख की गई कि दिनांक 30.05.2016 को आवेदक ने रूपयो की व्यवस्था कर अनावेदकगण से कहा कि तुम अपने रूपये वापिस ले लो व हमारी भूमि की रजिस्ट्री जो कि हमने कूरा के हित में की थी चूकिः कूरा का स्वर्गवास हो जाने से उक्त नामांतरण की कार्यवाही उसकी पत्नि व पुत्र द्वारा की जा रही है किन्तु अनावेदकगण तैयार नहीं हुये और नामांतरण की कार्यवाही कर रहे है। जिस प्रकरण में आवेदक/निगरानीकर्ता ने धारा 32 भू. रा. सं. 1959 के तहत आवेदन पत्र मय लिखित ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 400–दो/2017 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7 –02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री विवेक व्यास उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर आवेदक ने धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में नामांतरण कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया जिसे तहसीलदार इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदक द्वारा अनावेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित किया है जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा नामांतरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन न होने से नामांतरण की कार्यवाही रोका उचित नहीं माना है तथा आवेदक का धारा 32 का आवेदन अस्वीकार किया है। तहसीलदार द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करने के लिए बाध्य हैं। जहां तक आवेदक के तर्कों का प्रश्न है आवेदक द्वारा उठाये गये तर्क सिविल नेचर के प्रकट होते हैं अतः आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में इस न्यायालय में प्रकरण के ग्राह्यता का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	